मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 (पौष 3, 1943)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामखेलावन पटेल, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की कंडिका 13 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री हर्ष यादव, सदस्य**, रीवा के टी.आर.एस. महाविद्याल में नियम विरूद्ध प्राचार्य का प्रभार दिये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री शरदेन्दु तिवारी**, सदस्य, सीधी जिले के चुरहट से मोहनिया मार्ग का निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **सर्वश्री श्यामलाल द्विवेदी, आशीष गोविंद शर्मा**, सदस्य, रीवा जिले के संस्कृत विद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **श्री तरबर सिंह**, सदस्य, बण्डा क्षेत्र में वृहद बांध परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि का सही मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) **श्री सज्जन सिंह वर्मा**, सदस्य, प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में अनियमितता की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) **श्री रामपाल सिंह**, सदस्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत रायसेन जिले में आवास स्वीकृत नहीं किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) **डॉ. सीतासरन शर्मा**, सदस्य, इटारसी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में आवश्यक उपकरण व सामग्री की पूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) **डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अक़ील**, सदस्य, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आगजनी की घटना से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) **श्री बहादुर सिंह चौहान**, सदस्य, महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग लगाने की प्रक्रिया धीमी गति से होने की ओर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) **सर्वश्री जितू पटवारी, कुणाल चौधरी, विपिन वानखेड़े**, सदस्यों द्वारा लगाये गये प्रश्नों का जवाब समय पर न दिये जाने की ओर संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) **श्री आशीष गोविंद शर्मा**, सदस्य, देवास जिले में ज्वार की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) **श्री संजय यादव**, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र के चरगवां में घोषणा के बाद भी महाविद्यालय न खोले जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) **श्री ओमकार सिंह मरकाम**, सदस्य, डिण्डोरी एवं मण्डला जिले में गंदे नालों का पानी नर्मदा नदी में मिलने से नर्मदा नदी के प्रदूषित होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) **श्री सुनील सराफ**, सदस्य, अनूपपुर जिले में फलोद्यान योजना की अनुदान राशि में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) **श्री शैलेन्द्र जैन**, सदस्य, सागर जिले के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम संस्था द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) **श्री सज्जन सिंह वर्मा**, सदस्य, प्रदेश में कम क्षमता के विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) **डॉ. अशोक मर्सकोले**, सदस्य, मण्डला जिले की सहकारी समितियों में रखा धान सड़ने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) **सर्वश्री प्रियव्रत सिंह, जयवर्द्धन सिंह, रामचन्द्र दांगी**, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में सौभाग्य योजना के तहत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) **श्रीमती कृष्णा गौर**, सदस्य, भोपाल नगर निगम वार्ड 61 खजूरी कलां में मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(20) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल**, सदस्य, रायसेन जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामग्री क्रय में अनियमितता की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) **श्री हर्ष विजय गेहलोत**, सदस्य, रतलाम में शासन द्वारा आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति की ओर जनजातीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 142 सांची (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. प्रभुराम चौधरी एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 82-धौहनी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री कुंवर सिंह टेकाम को विधान सभा के दिसम्बर, 2021 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु वृद्धि की जाए.".

6. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल**, सदस्य, रायसेन जिले की उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र के झुग्गीवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत किये जाने,

(2) **डॉ. सतीश सिकरवार**, सदस्य, ग्वालियर शहर की अचलनाथ कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या का निराकरण किये जाने,

(3) **श्री संजय यादव**, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बिजना को राजस्व ग्राम घोषित कर धारणा अधिकार के पट्टे प्रदान किये जाने,

(4) **श्री रामपाल सिंह**, सदस्य, रायसेन जिले के बेगमगंज अंतर्गत टेकापार खुर्द सिंचाई परियोजना की निविदा आमंत्रित कराये जाने,

(5) **श्री संजय शर्मा**, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम तेन्दूखेड़ा स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए नवीन भवन का निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक**, सदस्य, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरिया, बगैहा, नदावन, सुतरी एवं खितौली मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री पी.सी. शर्मा**, सदस्य, भोपाल शहर के भदभदा चौराहे से प्रेमपुरा तक रोड निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री राजेश कुमार प्रजापति**, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पड़वार स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(9) **श्री हर्ष यादव**, सदस्य, सागर जिले के देवरी-रहली मार्ग के रजौला तिगड्डा से बीना (बारहा) होते हुए सिलकुही नाका तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(10) **श्री प्रताप ग्रेवाल**, सदस्य, धार जिले के ग्राम चुनार डेम से 31 ग्रामों की समूह जल पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(11) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी**, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम सेल्दा से गोपालपुरा मार्ग की रूपारेल नदी पर पुलिया सह आर.एम.एस. निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(12) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी**, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम लखनी से बहेरिया तक का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा**, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पंचायत बर्रेड के मजरा बघरी में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,

(14) **श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव**, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम साँगई पहुँच मार्ग पर नेमन नदी के क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नवीन पुल की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(15) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय**, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम मोयाखेड़ा-पिपलौदी मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(16) **श्री सुरेश राजे**, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत भगेह से सकतपुरा तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री मनोज चावला**, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम बेटीखेड़ी से माउखेड़ी मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(18) **श्री प्रहलाद लोधी**, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम आमघाट में व्यारमा नदी पर स्टॉप डेम निर्माण कराये जाने,

(19) **श्रीमती सुलोचना रावत**, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम कानाकाकड़ स्थित माध्यमिक शाला के लिए भवन निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री दिलीप सिंह गुर्जर**, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा-गिदगढ़-निनावटखेड़ा-किलोड़िया-झिरमिरा-दिवेल-चंदोड़िया-तारोद-मोकड़ी के मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(21) **श्री ग्यारसीलाल रावत**, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम दुधखेड़ा से व्हाया बलवाड़ा (मय ब्रिज) तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय**, सदस्य, दमोह जिले की हटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसा के पास मंजीत घाट व्यारमा नदी पर स्टॉपडेम बनाये जाने,

(23) **श्री प्रणय प्रभात पांडे**, सदस्य, कटनी जिले के बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम तिवरी से लखनवारा-खिरहनी तक पहुँच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(24) **श्री जालम सिंह पटेल**, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम तिदंनी (बम्हौरी) में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(25) **सुश्री चंद्रभागा किराड़े**, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम सिलदड़ से ग्राम बोरली तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(26) **श्री तरबर सिंह**, सदस्य, सागर जिले के ग्राम रामपुर मुहल्ला टोरा में विद्युतीकरण कराये जाने,

(27) **श्री रामचन्द्र दांगी**, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम गिन्दौरहाट में शासकीय खेल मैदान की बाउण्ड्रीवॉल व स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(28) **श्री राज्यवर्धन सिंह**, सदस्य, राजगढ़ जिले के तलेन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस वाहन की स्वीकृति प्रदान करने,

(29) **श्री राकेश मावई**, सदस्य, मुरैना जिले के टेकरी-रिठौरा से पिलुआ तक एवं नूराबाद-पड़ावली रोड से खटाने का पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(30) **श्री बहादुर सिंह चौहान**, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम झारडा में रिंग रोड (बायपास) की स्वीकृति प्रदान करने,

(31) **श्री उमाकांत शर्मा**, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम खामखेड़ा में मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना से सरोवर का निर्माण कराये जाने,

(32) **श्री सुनील सराफ**, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम डोगरिया खुर्द से भाठाडाड-कोरया होते हुए कोठी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(33) **श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल**, सदस्य, बालाघाट जिले के वारासिवनी सिविल अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक की पदस्थापना किये जाने,

(34) **श्री दिलीप सिंह परिहार**, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम कराड़िया महाराज मार्ग से ग्राम आम्बा व केरी मार्ग पर डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,

(35) **श्री हर्ष विजय गेहलोत**, सदस्य, रतलाम जिले के सैलाना में सिंचाई कार्य हेतु विद्युत लाईन स्थापित किये जाने,

(36) **श्री सोहनलाल बाल्मीक**, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया मुख्य मार्ग से हर्रई ढाना तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(37) **श्री शरदेन्दु तिवारी**, सदस्य, सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ममदर से पड़खुरी गड्डी मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(38) **श्री देवीलाल धाकड़**, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम खारखेड़ा से पन्याखेड़ी बोलिया रोड तक नवीन मार्ग स्वीकृत किये जाने,

(39) **श्रीमती मनीषा सिंह**, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम खोढ़री से जैतपुर के मध्य एक पुल एवं सड़क का निर्माण कराये जाने,

(40) **श्री राकेश गिरि**, सदस्य, टीकमगढ़ नगर को बान सुजारा बांध समूह नलजल योजना में सम्मिलित करने,

(41) **श्री विक्रम सिंह राणा**, सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम नान्याखेड़ी से ग्राम दमदम तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(42) **श्री रवि रमेशचंद्र जोशी**, सदस्य, खरगोन जिले के पंधानिया स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(43) **श्री देवेन्द्र वर्मा**, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम सुरगांव बंजारी जसवाड़ी, बैड़ियाव एवं सहेजला, कोलगांव में सामुदायिक भवन स्वीकृत किये जाने,

(44) **श्री नारायण सिंह पट्टा**, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम खुदराही से सेदा एवं रेहटाखेरो से सागौन छापर तक ग्रेवल सड़क का निर्माण कराये जाने,

(45) **श्री महेश परमार**, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम तराना अंतर्गत माकडौन तहसील को विकासखण्ड बनाकर जनपद पंचायत बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

निर्धारित समय

30 मि. (1) **डॉ. कुँवर विजय शाह, वन मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) **श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. अशासकीय संकल्प.

(1) **श्री विक्रम सिंह**, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बगहाई रोड रेल्वे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रामपुर बघेलान किया जाये.".

(2) **डॉ. सीतासरन शर्मा**, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि राजस्व, पुलिस तंत्र, दीवानी, न्यायिक, फौजदारी प्रक्रियाओं में प्रचलित शासकीय शब्दावली में विद्यमान अरबी / फारसी शब्दों को पृथक कर उनके स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाये.".

(3) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया**, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि 1 नवम्बर, 2000 को मध्यप्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दौरान राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) में प्रदेश के पेंशनरों को डी.ए. एवं अन्य सुविधाओं के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की अनुमति लेना आवश्यक किया गया था जो राज्य पुनर्गठन के 20 वर्ष होने के पश्चात् भी अनिवार्य है जिससे राज्य के पेंशनरों को डी.ए. एवं अन्य सुविधाओं के लिये प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया जा सकता है इसलिये पेंशनरों को लाभ देने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुये उक्त धारा को विलोपित किया जाये.".

(4) **श्री दिव्यराज सिंह**, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि रीवा जिले में कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर की स्थापना की जाये.".

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 दिसम्बर, 2021.